उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग–2
संख्या–1822 ई–2/तेरह–2010–72/2006
लखनऊः दिनांक 30 जुलाई, 2010

कार्यालय ज्ञाप

पेय मदिरा उत्पादन हेतु नई आसवनियों की स्थापना तथा औद्योगिक अल्कोहल उत्पादन करने वाली आसवनियों/कैप्टिव आसवनियों को पेय मदिरा बनाने की अनुमति हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर शासनादेश संख्या–2612 ई–2/तेरह–2005–374/98 दिनांक 05 सितम्बर, 2005 में निर्धारित शर्तों के अधीन गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–2635 ई–2/तेरह–2005–374/98, दिनांक 07 सितम्बर, 2005 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। सम्यक् विचारोपरान्त उक्त समिति के स्थान पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार समिति का गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	–	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग	–	सदस्य/संयोजक
(4)	आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश	–	सदस्य।

2. उपर्युक्तानुसार नवगठित समिति प्रदेश में पेय मदिरा/बियर के उत्पादन हेतु नई आसवनियों/यवासवनियों (ब्रिवरीज) की स्थापना एवं पूर्व स्थापित आसवनियों/यवासवनियों की अधिष्ठापित क्षमता में विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन–पत्रों पर शासनादेश संख्या–1821 ई–2/तेरह–2010–72/2006 दिनांक 30 जुलाई, 2010 में निर्धारित नीति के आलोक में गुणावगुण के आधार पर विचार करके अपनी संस्तुति उपलब्ध करायेगी, जिस पर अन्तिम निर्णय मा0 आबकारी मंत्री जी के स्तर से लिया जायेगा।

(नेत राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1822 (1) ई–2/तेरह–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(8) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(याद अली)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आबकारी अनुभाग–2
संख्या–1822 ई–2/तेरह–2010–72/2006
लखनऊ::दिनांक 30 जुलाई, 2010

कार्यालय ज्ञाप

पेय मदिरा उत्पादन हेतु नई आसवनियों की स्थापना तथा औद्योगिक अल्कोहल उत्पादन करने वाली आसवनियों/कैप्टिव आसवनियों को पेय मदिरा बनाने की अनुमति हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर शासनादेश संख्या–2612 ई–2/तेरह–2005–374/98 दिनांक 05 सितम्बर, 2005 में निर्धारित शर्तों के अधीन गुणावगुण के आधार पर विचार कर संस्तुति करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–2635 ई–2/तेरह–2005–374/98, दिनांक 07 सितम्बर, 2005 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। सम्यक् विचारोपरान्त उक्त समिति के स्थान पर अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में श्री राज्यपाल महोदय निम्नानुसार समिति का गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त	–	अध्यक्ष
(2)	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
(3)	प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग	–	सदस्य/संयोजक
(4)	आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश	–	सदस्य।

2. उपर्युक्तानुसार नवगठित समिति प्रदेश में पेय मदिरा/बियर के उत्पादन हेतु नई आसवनियों/यवासवनियों (ब्रिवरीज) की स्थापना एवं पूर्व स्थापित आसवनियों/यवासवनियों की अधिष्ठापित क्षमता में विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन–पत्रों पर शासनादेश संख्या–1821 ई–2/तेरह–2010–72/2006 दिनांक 30 जुलाई, 2010 में निर्धारित नीति के आलोक में गुणावगुण के आधार पर विचार करके अपनी संस्तुति उपलब्ध करायेगी, जिस पर अन्तिम निर्णय मा0 आबकारी मंत्री जी के स्तर से लिया जायेगा।

(नेत राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 1822 (1) ई–2/तेरह–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(8) कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(यादे अली)
उप सचिव।